

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

क्रमांक प. 1(1) गृह-10/07पार्ट

जयपुर, दिनांक 05/03/2021

-:आज्ञा:-

राजस्थान अभियोजन सेवा के निम्नांकित अधिकारीगण उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वित्त विभाग की आज्ञा संख्या प. 1 (6) वित्त/रुल्स/98 दिनांक 24.5.2004 के अनुसरण में इन्हें कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि को अपरान्ह से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद एवं पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	अधिवार्षिकी आयु तिथि	सेवानिवृत्त तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री गणेश शंकर तिवाड़ी पुत्र श्री बृजकिशोर	उप निदेशक अभियोजन, भ्र0 नि0 ब्यूरो, उदयपुर	16.05.1961	15.05.2021	31.05.2021	
2	श्री संतोष कुमार विजय पुत्र श्री रामेश्वर	उप निदेशक अभियोजन, प्रथम जयपुर शहर	12.06.1961	11.06.2021	30.06.2021	
3	श्री रामकेश मीना पुत्र श्री टण्डीराम मीना	उप निदेशक अभियोजन, बीकानेर	01.07.1961	30.06.2021	30.06.2021	
4	श्री जयपाल सिंह सोलंकी पुत्र श्री हरभान सिंह सोलंकी	उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर	25.07.1961	24.07.2021	31.07.2021	
5	श्री जुगलकिशोर दवे पुत्र श्री मांगीलाल दवे	उप निदेशक अभियोजन, अजमेर (पद विरुद्ध)	27.07.1961	26.07.2021	31.07.2021	
6	श्री महेन्द्र कुमार व्यास पुत्र श्री शिवचरण	सहायक निदेशक अभियोजन, द्वितीय, जयपुर शहर	01.08.1961	31.07.2021	31.07.2021	
7	श्री अनिल कुमार मेहता पुत्र श्री मोहनलाल	सहायक निदेशक अभियोजन, बांसवाड़ा	13.01.1962	12.01.2022	31.01.2022	
8	श्री नित्येन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री गिरधारी शरण शर्मा	वि0 लोक, अभियोजक एसी/एसटी न्यायालय बांरा	21.01.1962	20.01.2022	31.01.2022	

1. क्रम संख्या 1 से 8 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. क्रम संख्या 1 से 8 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. क्रम संख्या 1 से 8 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार सैनी)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह विधि

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जांच/शिकायत) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग।
5. जिला कलक्टर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, बांसवाड़ा एवं बांरा।
6. निदेशक पेंशन विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक अभियोजन राज. जयपुर।
8. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग।
9. उप निदेशक अभियोजन, उदयपुर, जयपुर प्रथम/द्वितीय, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर।
10. सहायक निदेशक अभियोजन, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, बांसवाड़ा एवं बांरा।
11. समस्त प्रकोष्ठ अभियोजन निदेशालय।
12. संबंधित अधिकारीगण।
- ✓ 13. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
14. रक्षित/निजी पत्रावली।


विशिष्ट शासन सचिव, गृह विधि